न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, आर0ए0एस0

प्रार्थी		**अप्रार्थीगण**
1.फूलाराम पुत्र पूनमाराम जाति माली 2.शांति पत्नी बाबु जाति माली 3.लछिया पुत्र बाबु जाति माली 4.प्रभा पुत्र भावा जाति कुम्हार निवासीगण मणादर तह. शिवगंज	**बनाम**	1.जब्बरसिंह पुत्र भवानीसिंहजी जाति राजपू निवासी देवनगर 2.गीता पुत्री धरमाराम जाति कुम्हार 3.भरत पुत्र धरमाराम जाति कुम्हार 4.ममता पुत्री धरमाराम जाति कुम्हार 5.लक्ष्मी पुत्री धरमाराम जाति कुम्हार 6.शंकरलाल पुत्र धरमाराम जाति कुम्हार 7.शांतिदेवी पत्नी धरमाराम जाति कुम्हार 8.शारदा पुत्री धरमाराम जाति कुम्हार निवासीगण मणादर तह0 शिवगंज 9.भंवरलाल पुत्र रूपाराम जाति घांची 10.दलाराम पुत्र रूपाराम जाति घांची 11.समाराम पुत्र रूपाराम जाति घांची 12.सोनाराम पुत्र रूपाराम जाति घांची निवासीगण जुबलीगंज तह0 शिवगंज 13.राज0 सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज
विद्वान अधिवक्ता श्री मोहब्बतसिंह देवडा		विद्वान अधिवक्ता श्री भवानीसिंह राव अप्रार्थी सं0 2 ता 12

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

रा0प्रा0 पत्र स0 49/2024
दिनांक 06.11.2024

–::आदेश::–

उपरोक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी ने जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री मोहब्बतसिंह देवडा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण 1 से 3 के संयुक्त कब्जे काश्त की राजस्व भूमि खसरा नं0 2030 मौजा जुबलीगंज पटवार हल्का मनादर–2 रकबा 4.4677 हैक्टयर में अप्रार्थीगण सं0 9 से 12 के साथ आई हुई है जो उपरोक्त सहखातेदारान ने आपसी सहमति से मौके पर बंटवाड किया हुआ है तथा उपरोक्त प्रार्थीगण सं0 1 से 3 व 9 से 12 अपने अपने हक हिस्से पर काबिज है। प्रार्थीगण सं0 1 से 3 के संयुक्त कब्जे काश्त की राजस्व आराजी से लगती हुई आगे उत्तर की तरफ अप्रार्थी सं0 4 प्रभा पुत्र भावा की राजस्व आराजी आई हुई है। प्रार्थीगण सं0 1 से 4 की राजस्व आराजी पर कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिये प्रार्थीगण जुबलीगंज गांव से खसरा नं0 2055 में स्थित आम रास्ते से आने जाने हेतु उपयोग उपभोग कर रहे है, जो राजस्व रेकर्ड में बतौर रास्ता दर्ज है। प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में दर्ज खसरा नं0 2055 में स्थित आम रास्ते से अपने खेत में जाने हेतु वर्षो से खसरा नं0 2033 मौजा जुबलीगंज के खातेदार अप्रार्थी सं0 1 के खेत के पश्चिम हिस्से की माठ के किनारे किनारे होकर उससे आगे स्थित खसरा नं0 2031 रकबा 1.9263 के खातेदारान अप्रार्थीगण सं0 2 से 8 के खेत के पूर्वी दिशा की तरफ उक्त खसरे के बीच में से होकर प्रार्थीगण सं0 1 से 3 अपने अप्रार्थीगण सं0 9 से 12 के साथ संयुक्त लेकिन मौके पर मौखिक बंटवाड अनुसार काबिज काश्त अपने खेत खसरा नं0 2030 रकबा 4.4677 हैक्टयर मौजा जुबलीगंज में पूर्वजों के समय से वर्षो से आ जा रहे है तथा प्रार्थी सं0 4 उपरोक्त खेत खसरा नं0 2030 के मध्य में आपसी किनारे किनारे अपने खेत खसरा नं0 2024 में सुगमता से बेरोक [illegible] जा रहे थे। जिसमें उपरोक्त वर्णित खसरा सं0 2033, 2031, 2030 के खातेदारान को [illegible] थी तथा प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से ही उक्त खसरान की माठ के किनारे किनारे [illegible] पशुओं के आने जाने के लिये उपयोग में ले रहे है, लेकिन अब [illegible] अप्रार्थीगण जान बुझ [illegible] रास्ता राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण को रोक टोक रहे है। जिससे प्रार्थीगणों को अपने खेत पर जाकर कृषि कार्य करना असंभव हो गया है। प्रार्थीगणों के खेत पर जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक तथा न्यूनतम दुरी का रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थीगणों द्वारा 20 फिट चौडे रास्ते की मांग की गई है।

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

.... **शेष पेज संख्या दो पर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.03.04 17:11:52 IST
Reason: Self Attested

प्रकरण सं0 49/2024
फुलाराम व अन्य बनाम जब्बरसिंह व अन्य
अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.08.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शिवगंज को मौका जॉच रिपोर्ट हेतु पत्र क्रमाक 486 दिनाक 14.08.2024 को जारी कर मौका जॉच रिपोर्ट चाही गई। दिनांक 20.09.2024 को अप्रार्थी सं0 2 ता 12 की और से अधिवक्ता श्री भवानीसिंह राव द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश कर अवगत कराया कि प्रार्थी फूलाराम व अन्य को प्रार्थीगणों द्वारा संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार कृषि कार्य के लिये रास्ता उपलब्ध कराया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही रास्ते के बदले ली जाने वाली दुगुनी राशि नहीं लेने का निर्णय किया गया। अतः अप्रार्थी सं0 2 ता 12 ने प्रार्थीगणों को रास्ता दिया जाने हेतु निः शुल्क भूमि देने का निर्णय किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 06.11.2024 को फहरिश्त के साथ दस्तावेज किये जिसमें अप्रार्थी 1 की और से तहसीलदार शिवगंज के आदेश क्रमांक 1314–15 दिनांक 18.09.2024 के द्वारा अप्रार्थी सं0 1 जब्बरसिंह की ग्राम जुवलीगंज में स्थित खातेदारी भूमि के खसरा नं0 2033 रकबा 0.6232 हैक्टयर भूमि में से 0.1618 हैक्टयर भूमि रास्ते हेतु समर्पित की जा चुकी है जिसका राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगणों द्वारा चाहे गये अप्रार्थी सं0 1 जब्बरसिंह की भूमि में से रास्ता हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। जिससे प्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता हेतु 20 फीट चौडा रास्ता उपलब्ध कराना उचित है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य एवं अप्रार्थीगणों के द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रार्थीगणों के पास अपनी खातेदारी भूमि में पंहुच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता उनकी सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं होने व प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ते का अभाव होना सिद्ध है, जिससे प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत है।

अतः तहसीलदार शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 के अनुसार दर्शित लाल स्याही बिन्दु **'ए'** से **'बी'** (खसरा नं0 2033 के खसरे को छोडते हुए क्योंकि राजस्व रेकर्ड में पूर्व में रास्ता ईन्द्राज होने से) संबंधित खातेदारान की खातेदारी भूमि मौजा जुबलीगंज तहसील शिवगंज के खसरा नं0 2030 रकबा 4.4677 हैक्टयर व खसरा नं0 2031 रकबा 1.9263 हैक्टयर भूमि में आने जाने हेतु **20 फीट चौडा रास्ता** को संबंधित खातेदारान द्वारा रास्ते हेतु निः शुल्क भूमि उपलब्ध कराने के निवेदन अनुसार उनकी भूमि में से कम की जाकर रास्ता भूमि को राजस्व रेकर्ड में **किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी बिलानाम** खाते में दर्ज की जावे। अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत जवाब के अनुसार रास्ते के बदले दी जाने वाली राशि का परित्याग किया है अतः विधि अनुसार रास्ते के बदले दी जाने वाली राशि का आदेश पारित नहीं किया जा रहा है। प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 को आदेश का अभिन्न अंग समझा जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

नीरज मिश्र
सहायक कलक्टर
शिवगंज
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

दिनांक 06.11.2024

क्रमांक/कोर्ट/2024/ 526
प्रतिलिपिः–
तहसीलदार शिवगंज को पालनार्थ ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.03.04 17:11:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर,
शिवगंज
सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)